

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्या : 04/2019
दायर दिनांक : 11.03.2019
निर्णय दिनांक : 27.05.2025

-: अनवान :-

1. रामलाल पिता आसुराम जी जाति जाट आयु 48 वर्ष
 2. छगनलाल पिता भागीरथ जी जाति जाट आयु वयस्क
 3. शिवलाल पिता दलीचंद जी जाति जाट आयु वयस्क
 4. रतनलाल पिता मियाराम जी जाति जाट आयु वयस्क
 5. धन्नलाल पिता कालू जी जी जाति जाट आयु वयस्क सभी निवासीयान बाघपुरा ग्राम
पंचायत गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद
- निगराकारगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद जरिये सरपंच / सचिव
 2. प्रभुलाल पिता रणजीतलाल जी शर्मा आयु वयस्क निवासी बाघपुरा ग्राम पंचायत
गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद.
- गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994
उपस्थित:-

- 1- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
- 2- अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित
- 3- श्री महिपाल सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02
अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गलवा द्वारा राजस्व ग्राम बाघपुरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाघपुरा के सामने स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि में निम्न पट्टे जारी किये गये है जिसका विवरण निम्न प्रकार है (अ) पट्टा संख्या 17578 दिनांक 15.09.2003 बहक प्रभुलाल पिता रणजीतलाल शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट जिसके पूर्व दिशा का नाप 40 फीट पडौस पडत आबादी भूमि, पश्चिम दिशा का नाप 40 फीट पडौस कृषि भूमि, उत्तर दिशा का नाप 35 फीट पडौस पडत आबादी भूमि एवं दक्षिण दिशा का नाप 35 फीट पडौस आम रास्ता। (ब) पट्टा संख्या 17579 दिनांक 15.09.2003 बहक जगदीश पिता रणजीतलाल शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट जिसके पूर्व दिशा का नाप 45 फीट पडौस पडत आबादी भूमि, पश्चिम दिशा का नाप 45 फीट पडौस पडत आबादी भूमि, उत्तर दिशा का नाप 30 फीट पडौस पडत आबादी भूमि एवं दक्षिण दिशा का नाप 30 फीट पडौस आम रास्ता। (स) पट्टा संख्या 17582 दिनांक 20.01.2004 बहक



(Handwritten Signature)

घनश्यामलाल पिता बालकृष्ण शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट जिसके पूर्व दिशा का नाप 40 फीट पडौस आबादी पडत भूमि, पश्चिम दिशा का नाप 40 फीट पडौस कृषि भूमि, उत्तर दिशा का नाप 35 फीट पडौस पडत आबादी भूमि एवं दक्षिण दिशा का नाप 35 फीट पडौस प्रभुलाल शर्मा का प्लोट। (द) पट्टा संख्या 17583 दिनांक 20.01.2004 बहक कैलाश पिता मांगीलाल शर्मा निवासी सांसेरा क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट जिसके पूर्व दिशा का नाप 45 फीट पडौस आबादी पडत भूमि, पश्चिम दिशा का नाप 45 फीट पडौस प्रभुलाल का प्लोट, उत्तर दिशा का नाप 30 फीट पडौस पडत आबादी भूमि एवं दक्षिण दिशा का नाप 30 फीट पडौस आम रास्ता। (य) पट्टा संख्या 17587 दिनांक 20.02.2004 बहक बालकृष्ण पिता रणजीतलाल शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट जिसके पूर्व दिशा का नाप 35 फीट पडौस रास्ता, पश्चिम दिशा का नाप 35 फीट पडौस घनश्यामलाल का प्लोट, उत्तर दिशा का नाप 30 फीट पडौस रास्ता एवं दक्षिण दिशा का नाप 30 फीट कैलाशचन्द्र शर्मा का प्लोट। उक्त भूखण्ड को ग्राम पंचायत गलवा द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत नियम 167 के तहत निलामी में उक्त भूखण्ड विक्रय करना बताते हुए विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया गया है जो तत्कालीन सचिव एवं विपक्षी संख्या एक की मिलीभगत से जारी हुए है। जिसे निरस्त कराने के लिए यह निगरानी इन आधारों पर पेश है कि ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित भूखण्डों की कोई निलामी नहीं निकाली गई है। निलामी के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत जारी निर्देशों एवं नियमों की पालना नहीं की गई है। पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत बनाये गये नियम 1996 के नियम 150 से 152 की कोई अनुपालना नहीं हुई है तथा नियम 167 के तहत निलामी की कार्यवाही किये बगैर ही यह पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरित हैं उपरोक्त वर्णित पट्टे शुदा भूमि एक ही स्थान पर है और यदि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्डों की निलामी किया जाना तय किया जाता तो निलामी की तारीख पंचायत द्वारा नियमानुसार एक ही दिनांक तय की जाती लेकिन वास्तव में कोई निलामी हुई ही नहीं है इसलिए उक्त भूखण्डों की निलामी तारीख भिन्न भिन्न पट्टे में दर्शाई गई है। दिनांक 15.09.2003, 20.01.2004 व 20.02.2004 उक्त भूमि की निलामी अलग अलग किया जाना कतई सम्भव नहीं है। उक्त भूखण्ड निलामी में विक्रय करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा यदि ऐसा कोई प्रस्ताव लिया जाता तो इन सभी भूखण्डों के संबंध में निलामी की एक ही तारीख तय की जाती। उक्त निलामी कार्यवाही का फर्जीवाडा इससे भी प्रमाणित हो रहा है कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड सभी एक ही परिवार के सदस्यों को भूखण्ड निलामी में प्रदान कर दिये गये है। निलामी के लिए गाँव के अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो यह कतई सम्भव नहीं है। वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई निलामी तय ही नहीं की गई है न ही निलामी ही की गई है। उक्त पाँचो भूखण्ड एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर है जो इस सजरे से भी प्रमाणित हो रहा है।

रणजीतलाल

|

|
बालकृष्ण
पुत्र

|
प्रभुलाल
पुत्र

|
जगदीश
पुत्र

|
मोहनीदेवी
पुत्री

|
घनश्याम

|
कैलाश



9

उपरोक्त सजरे से यह प्रमाणित है कि उक्त सभी पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों को विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं। यह कतई सम्भव नहीं है कि सार्वजनिक निलामी की कार्यवाही में एक परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य भाग नहीं लेवे और सारे भूखण्ड एक ही परिवार को जारी हो जावे और वह भी अलग अलग दिनांक को निलामी में जारी हो। वास्तविकता में सारे पट्टे सचिव से मिलीभगत कर जारी करवाये हैं जिसमें सरपंच के भी कुटरचित हस्ताक्षर हैं। इस बात की पुष्टि तत्कालीन सरपंच भगवती देवी द्वारा आप न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर की है कि उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई निलामी नहीं हुई है न ही पट्टे जारी हुए हैं न ही उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय बाघपुरा के सामने सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत द्वारा रिजर्व रखी है जिसे विपक्षी संख्या एक से विपक्षी संख्या दो ने तत्कालीन सचिव से मिलीभगत कर जारी करवाया गया है। निलामी के उक्त प्रस्ताव न तो पंचायत समिति न ही जिला परिषद न ही राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं और न ही पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा/राज्य सरकार द्वारा उक्त निलामी की पुष्टि की गई है और ऐसा पुष्टि किया जाना सम्भव भी नहीं है कि निलामी के दूसरे दिन ही उसकी पुष्टि हो जाय। उक्त वर्णित समस्त पट्टे फर्जी एवं कुटरचित रूप से तैयार किये गये हैं इन्हें जारी करने का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में मौजूद ही नहीं है और इस बात की पुष्टि ग्राम पंचायत के सरपंच बंशीलाल द्वारा भी गई है जिसने स्वयं ने उक्त पट्टे के संबंध में निगरानी याचिकाएँ पेश करना प्रार्थीगण की जानकारी में आया है लेकिन उनके सरपंच का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायत की विपक्षी संख्या दो के साथ मिलीभगत होने से प्रस्तुत निगरानी याचिका को अदम हाजरी में खारिज करवा दी गई। जबकि उक्त पट्टे गलत रूप से जारी हुए हैं इसीलिए स्वयं तत्कालीन सरपंच द्वारा उसे निरस्त कराने के लिए निगरानी याचिका पेश की है। उक्त जारी किये गये पट्टे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विपरित हैं। उक्त भूमि आबादी भूमि ही नहीं है। ग्राम पंचायत को इसे निलाम करने व पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। जिसको निलाम करने का अधिकार नहीं है न ही उसके पट्टे जारी किये जा सकते हैं। उक्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं की गई है केवल कयासी आधार पर पट्टे में आराजी नम्बर 214 अंकन कर दिया गया है। निलामी की कोई कार्यवाही न तो हुई है न ही ऐसी कोई पत्रावली कायम हुई है। निलामी का कोई प्रस्ताव ही नहीं है न ही उक्त भूमि आबादी होने का कोई प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है। सारी कार्यवाही सचिव एवं विपक्षी संख्या दो ने आपसी मिलीभगत करके की है। पट्टे पर कहीं भी यह भी अंकित नहीं है कि निलामी की राशि पंचायत में किस तारीख को किस रसीद संख्या से जमा हुई है। रसीद नम्बर दिनांक का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निलामी की तारीख के बाद कब राशि जमा हुई है इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। उक्त पट्टे का फर्जी वाडा इससे भी प्रमाणित होता है कि सारे पट्टे एक ही सिरिज के एक साथ जारी हुए हैं। साथ ही निलामी की दिनांक को ही पट्टा जारी किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रकरण में निलामी की दिनांक को ही पट्टा जारी करना बताया है जबकि निलामी की पुष्टि का आदेश उक्त दिनांक को आना सम्भव ही नहीं है। स्वयं पट्टे से भी यह प्रमाणित है कि पट्टा जारी करने की दिनांक को उसकी पुष्टि की बाद की तारीख पट्टे पर अंकित है तो पट्टा जारी होने की दिनांक पुष्टि से पूर्व की होना सम्भव ही नहीं है। प्रार्थीगण गाँववासी हैं और उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की है जिसमें प्रार्थीगण का कोई निजी हित नहीं है, मामला सार्वजनिक उपयोग की भूमि के संबंध में अवैध रूप से जारी किये गये पट्टे



9

का होने से प्रार्थीगण की और से यह निगरानी याचिका पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी किये गये पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महिपाल सिंह ने उपस्थिति दी। तथा ग्राम पंचायत गलवा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी व प्रकरण में तहसीलदार आमेट से वादग्रस्त स्थल के संबंध में मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस हेतु नियम पेशी दिनांक के दिन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत गलवा द्वारा राजस्व ग्राम बाघपुरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाघपुरा के सामने स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि में कुल 5 पट्टे जारी किये गये है 1. पट्टा संख्या 17578 दिनांक 15.09.2003 बहक प्रभुलाल पिता रणजीतलाल शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट का जारी किया गया, 2. पट्टा संख्या 17579 दिनांक 15.09.2003 बहक जगदीश पिता रणजीतलाल शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का जारी किया गया, 3. पट्टा संख्या 17582 दिनांक 20.01.2004 बहक घनश्यामलाल पिता बालकृष्ण शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट का जारी किया गया, 4. पट्टा संख्या 17583 दिनांक 20.01.2004 बहक कैलाश पिता मांगीलाल शर्मा निवासी सांसेरा क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का जारी किया गया, 5. पट्टा संख्या 17587 दिनांक 20.02.2004 बहक बालकृष्ण पिता रणजीतलाल शर्मा निवासी बाघपुरा क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट का जारी किया गया। ग्राम पंचायत गलवा द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत नियम 167 के तहत निलामी में उक्त भूखण्ड विक्रय करना बताते हुए विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 17578 दिनांक 15.09.2003 को जारी किया गया है जो तत्कालीन सचिव एवं विपक्षी संख्या एक की मिलीभगत से जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित भूखण्डो की कोई निलामी नहीं निकाली गई है। निलामी के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत जारी निर्देशो एवं नियमो की पालना नहीं की गई है। पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत बनाये गये नियम 1996 के नियम 150 से 152 की कोई अनुपालना नहीं हुई है तथा नियम 167 के तहत निलामी की कार्यवाही किये बगैर ही यह पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरित हैं उपरोक्त वर्णित पट्टे शुदा भूमि एक ही स्थान पर है और यदि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्डो की निलामी किया जाना तय किया जाता तो निलामी की तारीख पंचायत द्वारा नियमानुसार एक ही दिनांक तय की जाती लेकिन वास्तव में कोई निलामी हुई ही नहीं है इसलिए उक्त भूखण्डो की निलामी तारीख भिन्न भिन्न पट्टे में दर्शाई गई है। दिनांक 15.09.2003, 20.01.2004 व 20.02.2004 उक्त भूमि की निलामी अलग अलग किया जाना कतई सम्भव नहीं है। उक्त भूखण्ड निलामी में विक्रय करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा यदि ऐसा कोई प्रस्ताव लिया जाता तो इन सभी भूखण्डो के संबंध में निलामी की एक ही तारीख तय की जाती। उक्त निलामी कार्यवाही का फर्जीवाडा इससे भी प्रमाणित हो रहा है कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड सभी एक ही परिवार के सदस्यो को भूखण्ड निलामी में प्रदान कर दिये गये है। निलामी के लिए गाँव के अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो यह कतई सम्भव नहीं है। उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय बाघपुरा के सामने सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत द्वारा रिजर्व रखी है जिसे विपक्षी संख्या



9

एक से विपक्षी संख्या दो ने तत्कालीन सचिव से मिलीभगत कर जारी करवाया गया है। निलामी के उक्त प्रस्ताव न तो पंचायत समिति न ही जिला परिषद न ही राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं और न ही पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा/राज्य सरकार द्वारा उक्त निलामी की पुष्टि की गई है और ऐसा पुष्टि किया जाना सम्भव भी नहीं है कि निलामी के दूसरे दिन ही उसकी पुष्टि हो जाय। उक्त वर्णित समस्त पट्टे फर्जी एवं कुटरचित रूप से तैयार किये गये हैं इन्हें जारी करने का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में मौजूद ही नहीं है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी किया गया पट्टा दिनांक 15.09.2003 को निरस्त फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता निगराकार की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत गलवा द्वारा श्री प्रभुलाल पिता रणजीतलाल शर्मा को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत दिनांक 15.09.2003 को पट्टा संख्या 17578 जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 40 दिनांक 15.09.2003 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) में यह प्रावधान है कि "नियम 153 में उपबन्धितानुसार संदाय कर दिये जाने, नियम 154 में उपबन्धित अनुसार विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने और नियम 166 के अधीन अपील, यदि कोई हो, निपटा दिये जाने, या यदि कोई भी अपील नहीं की गयी हो तो उसके लिए विहित समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने वाले प्रारूप 23 में लिखा गया एक विलेख पंचायत की ओर से निष्पादित किया जाएगा।" ग्राम पंचायत गलवा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गई परन्तु ग्राम पंचायत गलवा के पत्र दिनांक 15.9.2021 द्वारा मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया। श्री प्रभुलाल के पक्ष में जारी पट्टे संख्या 17578 दिनांक 15.09.2003 का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत जारी किया गया परन्तु उक्त पट्टे में नीलामी दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया एवं नीलामी की दिनांक के पश्चात राशि कब जमा हुई इसका उल्लेख भी नहीं किया हुआ है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के संबंध ग्राम पंचायत में पत्रावली नहीं होने का उल्लेख किया गया जिससे भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना की गई अथवा नहीं।

प्रकरण में तहसीलदार आमेट से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बाघपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाघपुरा के सामने स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि आ. नं. 214 में से ग्राम पंचायत गलवा द्वारा पट्टा संख्या 17578 दिनांक 15.09.2003 से श्री प्रभुलाल पिता रणजीतलाल शर्मा निवासी बाघपुरा को 1400 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है। उक्त सम्पूर्ण खसरा मौके पर खाली पड़ा हुआ है मौके पर पट्टेदार द्वारा किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की बाउन्ड्रीवाल अथवा कोई निर्माण कार्य नहीं करवा रखा है।

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 एवं 06/2019 निगरानी याचिका के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत गलवा द्वारा उक्त सार्वजनिक उपयोग की भूमि के श्री रणजीतलाल शर्मा के परिवार के कुल 5 सदस्य जिनमें 3 पुत्र 1 पौत्र व 1 दोहिता को निम्नानुसार पट्टे जारी किये गये 1. प्रभुलाल पिता रणजीतलाल शर्मा के पक्ष में पट्टा संख्या 17578 दिनांक 15.09.2003 को 1400 वर्गफीट का जारी किया गया, 2. जगदीश पिता रणजीतलाल शर्मा के पक्ष में पट्टा संख्या 17579 दिनांक 15.09.2003 को 1350 वर्गफीट का जारी किया गया, 3.



५


घनश्यामलाल पिता बालकृष्ण शर्मा के पक्ष में पट्टा संख्या 17582 दिनांक 20.01.2004 को 1400 वर्गफीट का जारी किया गया, 4. कैलाश पिता मांगीलाल शर्मा के पक्ष में पट्टा संख्या 17583 दिनांक 20.01.2004 को 1350 वर्गफीट का जारी किया गया, 5. बालकृष्ण पिता रणजीतलाल शर्मा के पक्ष में पट्टा संख्या 17587 दिनांक 20.02.2004 को 1050 वर्गफीट का जारी किया गया। जिससे सार्वजनिक उपयोग की भूमि का दुरुपयोग होना प्रतीत होता है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रिक्त भूखण्ड को विक्रय करने बाबत विस्तृत प्रावधान दिये गये हैं उक्त प्रावधानों में विहित प्रक्रिया की पालना करने तथा नियम 152 में नियत बाजार कीमत पर खुली निलामी द्वारा विक्रय किये जाने के प्रावधान हैं। विचाराधीन प्रकरण में एक ही परिवार के सदस्यों को पट्टे जारी किये गये जिससे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने में अपनायी गयी प्रक्रिया संदेहास्पद प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 167(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 में विहित की गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) की आड में ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि में एक ही परिवार के सदस्यों को नीलामी दर्शा कर पट्टे जारी किये गये हैं, जो कि नियमानुकूल नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत गलवा द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गलवा द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17578 दिनांक 15.09.2003 को निरस्त किया जाता है।


(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद